न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 17/2018

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	बनाम्	पोलसिंह मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों का वास थापन, बालोतरा जिला बाड़मेर (टेम्पो संख्या आर.जे. 39 टी.ए.0218)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ा) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 22.5.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.06.2017 को प्रातः 8.00 बजे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दौराने चैकिंग हाउसींग बोर्ड फांटा बालोतरा पहुंचने पर एक टेम्पो (आर.जे.39 टी.ए. 0218) खड़ा पाया गया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में टेम्पो का निरीक्षण करने पर उसमें 45–45 लीटर के दो केन दुध से भरे हुए आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये। टेम्पो चालक का नाम व पता पूछने पर अपना नाम पोलसिंह मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों का वास थापन, बालोतरा जिला बाड़मेर बताया। टेम्पो में रखे दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 60/– रूपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया,

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.785 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.785 जॉच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध नमूना पी.785 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/574/एक्ट/2017/574 दिनांक 19.6.2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में अवमानक स्तर का पाये गये दूध का विक्रय करने के फलस्वरूप खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन होना पाये जाने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.785 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया कि अप्रार्थी गांवो से दूध इकट्ठा कर, शहर में आकर बेचने का व्यवसाय करता है। अप्रार्थी द्वारा दूध में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करते हुए निस्तारण करने का निवेदन किया।

3. सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 10.06.2017 को गश्त के दौरान् निरीक्षण करने पर अप्रार्थी के टेम्पो में रखे दो केनो में करीबन 45–45 लीटर दूध आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। दूध का नमूना पी.785 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षो को सुना। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/574 एक्ट/2017/574 दिनांक 19.6.2017 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 785 अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी पोलसिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पोलसिंह पर 3000/–(अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक आदि से निर्णय तारीख 22.5.2018 से एक माह के अंदर– अंदर जमा करावे तथा प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति न्यायालय में पेश करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज तारीख 22.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर